प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 29 – 05 फरवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

लोकसेवा आयोग में यदि मीरा वालिया की नियुक्ति नियमों के विरूद्ध है तो रचना गुप्ता की सही कैसे?

शिमला/शैल। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के दौरान जब ''हिमाचल मांगे हिसाब'' जारी किया था तो उसमें एक आरोप यह भी

उठाया गया था कि प्रदेश लोक सेवा आयोग में मीरा वालिया की नियुक्ति नियमों के विरूद्ध है। इस नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में उस समय आ चुकी थी। बल्कि इस याचिका में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं। याचिका में सवाल इसलिये उठाये गये हैं क्योंकि पंजाब लोक सेवा आयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पहुचे एक मामलें में 15 फरवरी 2013 को आये फैसले में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेशों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आधार क्या होने चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश इसलिये जारी किये हैं कि लोक सेवा आयोग राज्यों की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के लिये पात्र उम्मीदवारों का चयन करता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थानों में लगने वाले अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के आधार पूरी तरह स्पष्ट और परिभाषित हों। सर्वोच्च न्यायालय का यह 103 पृष्ठों का फैसला न्यायमूर्ति जस्टिस ए.के.पटनायक और जस्टिस मदन वी लोकुर की खण्डपीठ का है।

इस फैसलें में परिभाषित मानकों और प्रक्रिया के आईने में प्रदेश के वर्तमान लोक सेवा आयोग का चयन और गठन एकदम इस फैसलें में तय प्रक्रिया से एकदम भिन्न है। क्योंकि यह फैसला 15 फरवरी 2013 को आ गया था और आज आयोग में अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक सबकी नियुक्तियां इस फैसलें के बाद हुई हैं। स्मरणीय है कि पंजाब लोक सेवा आयोग में लगाये गये अध्यक्ष की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी तब इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। तब पंजाब सरकार इस फैसलें की अपील में सर्वोच्च न्यायालय गयी और इस पर 15 फरवरी 2013 को फैसला आ गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के दौरान इसी फैसलें के आधार पर मीरा वालिया की नियुक्ति को नियमों के विरूद्ध करार दिया था। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि मीरा वालिया की नियुक्ति नियमों के विरूद्ध थी तो फिर उसी गणित में डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति सही कैसे हो सकती है। यही नहीं सरकार ने यह नियुक्ति करने के लिये पहले वाकायदा दो पद सदस्यों के सृजित किये और एक पर उसी दिन नियुक्ति भी कर दी। डा. रचना गुप्ता के पहले इसी आयोग में पत्रकार के. एस. तोमर अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिये पत्रकार तोमर की नियुक्ति हो या अब रचना गुप्ता की हो। इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती और इसी गणित में मीरा वालिया की नियुक्ति से भी आपत्ति का कोई प्रश्न नही हो सकता। यह सभी लोग अपने में योग्य हैं लेकिन इन नियुक्तियों पर सवाल तो भाजपा के हिसाब मांगने से लगे हैं। ऐसे में अब अपने ही लगाये आरोप को नज़रअन्दाज करके की गयी इस नियुक्ति पर तो भाजपा को ही हिसाब देना है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या रहा है इसकी जानकारी मुख्यमन्त्री को नही हो सकती यह स्वभाविक और संभव है। लेकिन इस फैसलें की जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालय और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को भी नही रही हो ऐसा नहीं माना जा सकता। बल्कि इस मामलें में तो प्रदेश उच्च न्यायालय में पहले से ही एक याचिका लंबित है और उसमें सरकार की ओर से जवाब भी दायर किया गया है। इसलिये यह स्वभाविक है कि जब दो पदों के सृजन का मामला मन्त्रीमण्डल के पास गया होगा तब उच्च न्यायालय में लंबित मामलें की जानकारी भी रिकार्ड पर लायी गयी होगी। ऐसे में यह एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सरकार ने तथ्यों को नज़र अन्दाज करके पदों के सृजन और फिर नियुक्ति को हरी झण्डी दी या अधिकारियों ने सही स्थिति ही सामने नही रखी। जो भी स्थिति रही हो

लेकिन इस पूरे मामलें को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे सरकार की अपनी ही स्थिति बुरी तरह हास्यस्पद बन गयी है।

अपने ही आरोप पत्र में उलझने लगी सरकार

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने भी यह संकल्प दोहराया है कि वह भ्रष्टाचार कतई बर्दाशत नही करेगी लेकिन इसी के साथ यह भी कहा है कि पिछली सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से बनाये गये मामलों को वापिस भी लेगी। इन मामलों को लेकर पिछले दिनों सचिवालय मे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सी.ओ.एस. की बैठक भी हो चुकी है और इसमें ऐसे मामलों को शीघ्र वापिस लेने पर बल भी दिया गया। लेकिन क्या विजिलैन्स में दर्ज मामलें और जो मामलें अदालत तक जा पंहुचे हैं उन्हे भी वापिस लिया जायेगा। इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है क्योंकि पुलिस के पास दर्ज सामान्यतः कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों को राजनीतिक आधार करार देकर वापिस लिया जा सकता है लेकिन क्या भ्रष्टाचार को लेकर विजिलैन्स में दर्ज मामलों को भी वापिस लिया जा सकता है। इसको लेकर स्थिति उलझी हुई है।

इस समय विजिलैन्स के पास एचपीसीए और राजीव बिन्दल के मामलें हैं और यह मामलें अदालत में भी पंहुच चुके हैं। बिन्दल के मामलें में तो गवाहीयां चल रही हैं। उसके बाद बहस और फिर फैसलों की नौबत आ जायेगी। इस मामलें में पिछली बार धूमल सरकार के वक्त में विधानसभा अध्यक्ष से अभियोजन की अनुमति इन्कार करवा कर मामलें को खत्म करने का प्रयास किया गया था जो आगे सफल नहीं हो पाया। लेकिन एच.पी.सी.ए. मामलें में दो अधिकारियों पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सनान और सचिव अजय शर्मा ने सरकार से यह मामलें वापिस लिये जाने का आग्रह किया हुआ है। सरकार इन आग्रहों पर विचार कर रही हैं लेकिन दोनों के मामलें में सरकार की ओर से अभियोजन की अनुमति जारी हो चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक अभियोजन की अनुमति जारी हो जाने के बाद उसे वापिस लेने का कोई प्रावधान नही है। बल्कि ऐसे आग्रह पर सरकार द्वारा विचार किये जाने को भी मामलें को प्रभावित किये जाने का प्रयास करार दिया जाता है क्योंकि अदालत में मामला पंहुचने के बाद पी पी ही कानून की राय में उसका मास्टर होता है। इस परिदृश्य में सरकार इन मामलों को कैसे वापिस लेती है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है।

दूसरी ओर भाजपा का आरोप पत्र राजभवन में लंबित पड़ा है। इस आरोप पत्र पर भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग कर रखी है। इस आरोप पत्र में भाजपा ने स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर एक गंभीर आरोप लगा रखा है। भाजपा का आरोप है कि वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिये केन्द्र सरकार के पास तोड़-मरोड़ कर बल्कि अलग से गढ़कर तथ्य पेश किये हैं। जिसके आधार पर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं नगर निगम धर्मशाला में जो अंडर ग्राऊड डस्टबिन लगाये गये है। उसमें भी बड़े स्तर पर घपला हुआ है। भाजपा ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी और नगर निगम प्रकरण को लेकर जो आरोप लगाये हैं उनकी सी.बी.आई. जांच की मांग कर रखी है। धर्मशाला के विधायक एवम् सिविल सप्लाई मन्त्री किश्न कूपर के लिये यह जांच करवाया जाना प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

सूत्रों के मुताबिक अब राजभवन से आर.टी.आई. के तहत इस संद्धर्भ में हुई कारवाई की जानकरी मांगी गयी है। दूसरी ओर यह भी चर्चा चल उठी है कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी या नगर निगम को लेकर वीरभद्र शासन में जो भी फैसले लिये गये हैं उनमें बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव यू.डी. जिस अधिकारी की मुख्य भूमिका रही है वही अधिकारी इस सरकार में भी एक प्रमुख भूमिका में बैठा हुआ है। वैसे यह माना जा रहा है कि भाजपा का यह आरोप भी वैसा ही है जैसा कि लोक सेवा आयोग को लेकर रहा है लेकिन यह आरोप भी अब सरकार पर अपने ही आरोप पत्र के कारण भारी पड़ने जा रहा है।

हिमाचल में आयोजित किया जाएगा मेगा रेसलिंग शो: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से धर्मशाला में विश्व कुश्ती मनोरंजन (डब्ल्यू डब्ल्यू ई) के विश्व विख्यात हेवीवेट पेशेवर कुश्ती चेम्पियन 'द ग्रेट खली' के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा ने भेंट की और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में हेवीवेट रेसलिंग चेम्पियनशिप आयोजित करने की योजना के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी पिछली सरकार को इस बारे अपना प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धीरैना गांव से सम्बन्ध रखने वाले दलीप सिंह पेशेवर कुश्ती प्रतियोगिता में अण्डरटेकर को परास्त कर मशहूर हुए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेसलिंग चेम्पियनशिप के आयोजन से न केवल राज्य का नाम रोशन होगा, बल्कि इस प्रतियोगिता से एकत्र धन का अधिकतम हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में मेगा कुश्ती प्रदर्शन, जहां प्रसिद्ध रेसलर भाग लेंगे, के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने की इच्छुक है, लेकिन यह चिन्ताजनक है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने खेलों को गम्भीरता से नहीं लिया और न ही इस प्रकार के प्रस्तावों पर कोई कदम उठाए।

मुख्यमंत्री ने खेल मंत्री गोविन्द ठाकुर को राज्य में रेसलिंग चेम्पियनशिप के आयोजन करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

वन मंत्री ने लिया वायरल वीडियो पर कड़ा संज्ञान

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने हाल ही में वायरल हुए वीडियो पर कड़ा संज्ञान लिया है। जिसमें रामपुर के निकट दो नेपाली मजदूरों की वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाया गया था। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, सरकारी कर्मचारियों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इस घटना की अरण्यपाल के माध्यम से जांच के भी आदेश दिए तथा मामले में संलिप्त कर्मचारियों को तत्काल बदलने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है तथा उन्हें नेपाली मजदूरों के बयान लेकर मामला दर्ज करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि खनन के नाम पर गरीब मजदूरों की पिटाई का यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विभाग को ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। उन्होंने वन विभाग को इसमे संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अरण्यपाल द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त बताया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रदेश में सभी क्षेत्रों का समान विकास होगा सुनिश्चित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में हिमाचली टोपी के रंगो में भेदभाव करती रही है, लेकिन वह रंगों की परवाह किए बिना हिमाचली टोपी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शासन में ऊपरी व निचले हिमाचल के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए हिमाचल एक है।

उन्होंने कहा कि यह भगवान की कृपा है कि वे राजनीति में आए, क्योंकि उनसे पहले उनके परिवार से कोई राजनीति में नही था और उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आयेंगे। लोगों ने उन्हें एक नेता के रूप में चुना है तथा वह विश्वास दिलाते हैं कि वह प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार थके, हारे तथा सेवा विस्तार पर काम कर लोगों के हाथों में थी तथा वर्तमान सरकार ने प्रथम निर्णय इन लोगों को घर भेजने का लिया। हालांकि पटवारी तथा कानूनगो की सेवाओं के कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जारी रखने का निर्णय लिया गया, जब तक कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राजस्व अधिकारियों का नया बैच नियुक्त नहीं किया जाता।

ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस ब्यान, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस शासन के दौरान घोषित किए गए किसी कॉलेज को बन्द करवाने के प्रयास पर कोर्ट जाने की बात कही है, के सम्बन्ध में कहा कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री भूल रहे हैं कि वे अभी भी प्रतिदिन कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 8.09 करोड़ रुपये की लागत से शाहपुर में बनने वाले मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा इसके निर्माण को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा भी की गई।

उन्होंने शाहपुर में उप-कोष कार्यालय की आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने शाहपुर क्षेत्र की तीन पंचायतों के लिए कलियाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने नागरिक अस्पताल शाहपुर के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की। उन्होंने मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की। उन्होंने शाहपुर के बस अड्डे के निर्माण कि लिए 50 लाख रुपये की देने की घोषणा की।

शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा उपस्थित अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए अपने दृष्टिपत्र-2017 को पढ़ा तथा अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शाहपुर में मिनी सचिवालय तथा उप-कोष कार्यालय के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में बिना बजट के कार्य नहीं किए जाते। यह कांग्रेस सरकार थी, जिसके शासन में बिना बजट के अनेक शिलान्यास किए गए। कांग्रेस ने नागरिक अस्पताल के दर्जे को कम किया तथा क्षेत्र को पूरी तरह से दरकिनार किया।

सरवीण चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हिमुड़ा की तरफ से 11 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। इसके अतिरिक्त, गज एवं खोली हाईडल परियोजना ने 51000, मैकलो होटल संघ मैकलोड़गंज ने 51000, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ठेकेदार यूनियन शाहपुर ने 31000, व्यापार मण्डल शाहपुर व जितेन्द्र सोढ़ी ने 21000-21000 रुपये के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किए।

किसानों के लिए ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजी में कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ

शिमला/शैल। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में ''ग्रीनहाउस ऑपरेटर की भूमिका'' पर किसानों के लिए एक महीने का कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान और जल प्रबंधन विभाग के प्रीसीजन फार्मिंग सेंटर, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ आरएस स्पेहिया, ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए राज्य के 30-40 किसानों को हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। किसानों को निर्माण और मरम्मत, फलों और सब्जियों की नर्सरी उत्पादन और फसल उत्पादन तकनीक वाले ग्रीन हाऊस कार्यो के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान रोग और कीट प्रबंधन, संरक्षित स्थितियों में सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन, जैविक खाद और जैव- उर्वरकों के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में भी बताया जाएगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के वैज्ञानिक भी ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। किसानों को उत्कृष्टता केंद्र, करनाल और चायल की एक एक्सपोजर यात्रा और ग्रीन हाऊस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। मृदा विज्ञान और जल प्रबंधन विभाग के प्रमुख डॉ. जे. सी. शर्मा ने कहा कि यह राज्य में पहली बार है कि किसी भी सरकारी विभाग ने भारत के कृषि कौशल परिषद के साथ संबंधित विषय पर 200 घंटे के कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

कार्यक्रम के अंतिम दौर में, प्रतिभागियों का स्वतंत्र परीक्षणकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों को एएससीआई द्वारा एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। ग्रीनहाउस ऑपरेटर की नौकरी के लिए यह प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य होगा।

मुख्यमंत्री ने नगरोटा-बगवां में किया एकीकृत विद्युत विकास योजना का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नगरोटा-बगवां में केन्द्र पोषित एकीकृत विद्युत विकास योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से नगरोटा शहर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी।

ठाकुर ने कहा कि 110 करोड़ रुपये की लागत की केन्द्र पोषित यह योजना प्रदेश के 54 शहरों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का 90 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया है। इसमें विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, नए ट्रांसफार्मर लगाना, प्रदेश में 33 के.वी. व 22 के.वी. विद्युत उप-केन्द्रों का स्तरोन्नयन करना तथा ट्रांसमिशन नुकसान से बचाव के लिए विद्युत लाईनों की देखभाल करना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अन्तर्गत कांगड़ा जिले में कांगड़ा, नगरोटा-बगवां, योल, देहरा, पालमपुर तथा धर्मशाला शहरों को चयनित किया गया है। इस योजना से मूलभूत अधोसंरचना तथा विद्युत आपूर्ति व सब-स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन शहरों के लिए 14.27 करोड़ रुपये की कुल राशि दी गई है, जिसमें नगरोटा-बगवां शहर में विद्युत प्रणाली के स्तरोन्नयन व सुधार के लिए 3.42 करोड़ रुपये भी शामिल है।

CII ने संतुलित और विकास उन्मुख बजट के लिए की सरकार की सराहना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन तथा फोनिक्स उद्योग लिमिटेड के निदेशक राजेश साबू ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के लिए बेहद अहम कदम उठाते हुए वित्तमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को 3794 करोड़ रुपये पूंजी सहायता और ब्याज सब्सिडी के रूप में आवंटित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति स्वरोजगर सजृत और स्वरोजगार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण की भी सराहना की जिसमें कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जो कि 2020 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।

राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत रखने के वित्त मंत्री के प्रयासों की सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष तथा वर्धमान टैक्सटाईल्स के अध्यक्ष तथा निदेशक आईएमजेएस सिद्धू ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7148 करोड़ रुपये जारी करना इस उद्योग को बढ़ावा देगा जो श्रमिक आधारित उद्योग है और विशाल आबादी के लिए रोजगार अवसर प्रदान करता है। सिद्धू ने फ्लैगशिप नेशनल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन स्कीम की भी सराहना की जो 50 करोड़ की आबादी को लाभ देगा और जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में परिवार द्वारा 5 लाख रुपये तक लाभ लिया जा सकेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम–2018 में संशोधन करने का निर्णय

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसे अनाधिकृत भवन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम-2018 में संशोधन करने का निर्णय लिया जो ऐसे अनाधिकृत भवनों को अथवा उनके भागों को सील करने की अनुमति देता था। अब अधिनियम में संशोधन के तहत दोषियों को सुनवाई का मौका प्रदान करने के उपरान्त ही सील करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से होटल मालिकों को राहत मिलेगी और नियम के तहत उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा कुल्लू जिले के आनी में गत 25 जनवरी को की गई घोषणा के अनुरूप नियमित सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये मूल वेतन पर 1 जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों को 700 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मंत्रिमण्डल ने अनुबन्ध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश को मौजूदा 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने का निर्णय लिया और इस निर्णय से अब उनका मातृत्व अवकाश नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर हो गया है।

मंत्रिमण्डल ने सामान्य तबादलों पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना चरण-2 के लिए प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 2000 किलामीटर की लम्बी सड़कों का विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन करवाने के लिए डिजाइन कंसलटेंट की सेवाएं लेने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य सड़क नेटवर्क की 1350 किलोमीटर लम्बी सड़कों की समय-समय पर सुरम्मत के अतिरिक्त 650 किलोमीटर राज्य सड़कों के लिये सामाजिक-पर्यावरणीय तथा सड़क सुरक्षा उपायों सहित विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनज के लिये मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक आधार पर, खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत कोटे के तहत, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों में से, सम्बन्धित भर्ती नियमों में विशेष प्रक्रिया के अनुसार बैचवाईज आधार पर तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर करने का निर्णय लिया। अन्य सभी मामलों में सम्बन्धित विभाग सभी पहलूओं पर जांच करने के उपरान्त स्वीकृती के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने 1 अप्रैल, 2018 से आईएमएफएल, बीयर, वाईन तथा साईडर के थोक वितरण के लिए एल-1 तथा परचून विक्रताओं को देसी शराब के थोक वितरण के लिये एल-13 की बहाली की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में 5 फरवरी, 2018 से थोक बिक्री लाईसेंस एल-1 तथा एल-13 प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सकें और शराब वितरण नेटवर्क पहली अप्रैल, 2018 से पहले क्रियाशील हो सके। मूल लाइसेंस फीस को वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित परचून आबकारी डियूटी में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया गया कि हि.प्र. विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 5 अप्रैल, 2018 तक आयोजित किया जाएगा तथा 17 से 25 मार्च के बीच अवकाश रहेगा।

मंत्रिमण्डल ने बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां-2017 को पुनः स्थापित करने के लिए मौजूदा हि.प्र.योजना को निरस्त कर दिया और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त बीमार मध्यम, लघु तथा माइक्रो उद्यम इकाईयां हि.प्र. योजना-2018 तैयार करने का निर्णय लिया।

डा.वाई.एस.परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसर/समकक्ष के 14 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में पंजीयक सहकारी सभाएं का एक रिक्त पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धुनाग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल खोलने तथा धर्मपुर के भराड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल तथा मण्डी जिला के टीहरा और मण्डप में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने की ज्वाली में राज्य स्तरीय विश्व वैटलैंड दिवस की अध्यक्षता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैले वैटलैंड की व्यापक किस्में पाई जाती है, जो कि जैव विविधता की धरोहर के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका का स्त्रोत भी है। कलात्मकता तथा पर्यटन की दृष्टि से भी इनका व्यापक महत्व है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के ज्वाली में राज्य स्तरीय वैटलैंड दिवस की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने लोगों से वैटलैंड के संरक्षण तथा पुनः बहाली में सक्रिय सहभागिता व सहायता देने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बाढ़ में कमी, पेयजल आपूर्ति, कूड़े के उचित प्रबन्धान तथा हरियाली वाले स्थलों व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी। वैटलैंड आजीविका का एक स्त्रोत भी है। शहरी वैटलैंड को शहर की दीर्घकालिक भावी योजना व विकास में एकीकृत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को भी सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यक्रमों के माध्यमों से कचरे के प्रबन्धन के बारे में भी संवदेनशील बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वैटलैंड का संरक्षण तथा बहाली मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तथा योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण स्तर पर इसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

विश्व वैटलैंड दिवस 2018 का अन्तर्राष्ट्रीय विषय 'दीर्घकालिक शहरी भविष्य के लिए वैटलैंड आवश्यक' (वैटलैण्डज फोर अ ससटेनेबल अर्बन फ्यूचर) निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वैटलैंड के तीन स्थल है, जिनमें कांगड़ा में पौंग बांध का रामसर वैटलैंड स्थल, सिरमौर में रेणुका तथा लाहौल-स्पीति में चंद्रताल शामिल है। भारत में कुल 26 वैटलैंड स्थल है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन केन्द्र मंत्रालय ने जिला मण्डी के रिवालसर तथा जिला चम्बा के खजियार को भी को भी संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए इस सूची में शामिल किया है।

उन्होंने कहा कि पौंग डैम की रामसर वैटलैंड प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य बन चुका है, जिसमें साईबेरिया, मध्य एशिया, रूस तथा तिब्बत के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से बहुतायत में प्रवासी पक्षी आते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की आपार सम्भावनाएं हैं तथा राज्य के जैव विविधता, वनस्पति व जीवजन्तु के संरक्षण तथा प्रोत्साहन से न केवल पर्यटको को आकर्षित किया जा सकता है, बल्कि वनों में रहने वाले जीवजन्तु, तथा पक्षियों भी आकर्षित होंगे।

हिमाचल प्रवासी पक्षियों के लिए गृह स्थान रहा है, जिसका प्रमाण मुरगाबी (जल पक्षी) की प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी होना है।

मुख्यमंत्री ने 'भेजर वैटलैंडज ऑफ हिमाचल प्रदेश' नामक पुस्तिका तथा पौंग वैटलैंड के कलेण्डर का विमोचन भी किया। उन्होंने वैटलैण्ड पर चित्र बनाने के लिए बच्चों को भी बधाई दी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में 1.27 लाख के मुकाबले इस वर्ष पौंग डैम वैटलैंड केवल 1.10 लाख पक्षी आए, जिसका कारण वैश्विक उष्मीकरण के चलते जलवायु परिवर्तन है तथा इसका असर भारत के सभी वैटलैंड पर पड़ा है। हालांकि वर्ष 2017-18 में पक्षियों की 93 प्रजातियों के मुकाबले वर्ष 2018 में बढ़कर 117 प्रजातियां आई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी पक्षियों के व्यवहारिक परिर्वतनों के अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा उनके आश्रय स्थलों में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य वैटलैंड प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में सभी हितधारक विभागों की सक्रिय सहभागिता से प्रदेश में वैटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा ने इस अवसर पर रामसे स्थलों तथा इनकी महत्वता के बारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होने वैटलैंड, जंगली जीवजन्तु के आश्रय स्थलों, जलीय प्रजाजियां तथा जल निकायों के संरक्षण के लिए लोगों का आहवान किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, विधायक रवीन्द्र धीमान, अर्जुन सिंह, रीता धीमान, सदस्य सचिव विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी कुनाल सत्यार्थी, प्रधान मुख्य संरक्षक संजीव पाण्डे तथा आर.सी. कंग भी इस अवसर पर अन्य गणमान्यों के साथ उपस्थित थे।

बजट को नए भारत की नींव तथा प्रगतिशील करार दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्र बजट 2018-19 की सराहना की है। उन्होंने बजट को पूर्णरूप से निर्धन, किसानों तथा समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के लिए समर्पित करार दिया। उन्होने कहा कि बजट 'नए भारत' की ठोस नींव रखने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बजट किसान मित्र, आम नागरिक मित्र, निवेशक मित्र व विकासोन्मुखी है, जो सुगमता से जीने में कारगर सिद्ध होगा।

जय राम ठाकुर ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरा उतरता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये का बीमा प्रदान करने वाली 'आयुषमान भारत योजना' 10 करोड़ से भी ज्यादा निर्धन परिवारों को बीमा प्रदान करेगा, जिससे लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि निर्धन उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित न हों। उन्होने कहा कि देश में 1.50 लाख आरोग्य केन्द्र खोले जाएंगे, जो कि लोगों को घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा क्षय रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करने की घोषणा का भी स्वागत किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत ग्रामीण निर्धन महिलाओं को आठ करोड़ निःशुल्क एलपीजी कुनेक्शन प्रदान करने के निर्णय से ग्रामीण निर्धनों को आवश्यक राहत प्रदान करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में वर्ष 2022 तक सभी भारतीयों को घर प्रदान करने के लक्ष्य को सुलझाना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने अगले वर्ष तक प्रदेश में दो करोड़ शौचालय निर्मित करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। इस निर्णय से 'स्वच्छ भारत' का लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के सरकार के वायदे को दोहराने को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न अतिरिक्त आबंटन तथा राशि की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, जैविक खेती को समर्थन, खाद्य संसाधन तथा कृषि सम्बन्धी आयात में उदारीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपये की घोषणा निसन्देह सराहनीय कदम है। मत्स्य पालन, पशु पालन तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त पशु पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से यह साबित होता है कि बजट वास्विक रूप से रोटी-कपड़ा-मकान तथा किसान का बजट है। ठाकुर ने एक लाख पंचायतों को इन्टरनेट सुविधाएं प्रदान करने के निर्णय की भी सराहना की तथा कहा कि इससे डिजिटल इण्डिया के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट की सुलभ सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर खुलेगे बल्कि 'वैश्विक गांव' (ग्लोबल विलेज) का सपना भी साकार होगा। उन्होने 'भारत माला परियोजना' के तहत देश में 35 हजार किलोमीटर से भी लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए 5.35 लाख करोड़ रुपये के आबंटन सम्बन्धी बजटीय घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में सड़क सुविधा का सुदृढ़ीकरण होगा तथा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोलने के निर्णय की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा भी एक सराहनीय निर्णय है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम आरम्भ करने के निर्णय की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कॉरपरेट कर की सीमा में 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने की घोषणा का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कम्पनियों को 25 प्रतिशत कर देना होगा। इस निर्णय से सुगमता से व्यापार यानि 'इज ऑफ डूइंग बिजनस' को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नए कर्मचारियों के ई.पी.एफ. में सरकार द्वारा 12 प्रतिशत अशंदान की घोषणा करने की भी सराहना की।

वित्त विभाग ने मांगे आगामी बजट के लिए सुझाव

शिमला/शैल। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के आगामी बजट 2018-19 को अधिक से अधिक जनहितेशी बनाने के लिए विभाग ने किसान/बागवान संगठनों, डेयरी संगठनों, उद्योग संगठनों, व्यापार संगठनों, पर्यटन संगठनों, श्रम संगठनों तथा जन साधारण से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह सुझाव वित्त विभाग के वैब पोर्टल http://himachal-nic/in अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ई-मेल finsecy&hp@nic-in अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को पत्र के माध्यम से 15 फरवरी, 2018 तक पहुंच जाने चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि यह सुझाव सेवा में सुधार, अच्छा प्रशासन तथा स्वरोजगार व आजीविका के अवसर सृजित करने से संबंधित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम सुझाव प्रस्तुत करने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 हजार रुपये व 15 हजार रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक मांगों को सुझाव के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है, वह स्वयं अपने दोष दिखाता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

एक देश एक चुनाव

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए देश में हो रहे अत्याधिक चुनावों को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। राष्ट्रपति से पहले नये मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यह कहा है कि देश में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर राजनीतिक दलों को इस पर सहमति बनानी चाहिये। चुनाव आयोग इसका प्रबन्ध करने में सक्षम है। मुख्य चुनाव आयुक्त की इस टिप्पणी के बाद हुई समन्वय समिति की बैठक में इस बारे में सहमति बन पाने की बात भी सामने आ चुकी है। अब राष्ट्रपति द्वारा इस संद्धर्भ में चिन्ता व्यक्त करने के बाद यह टिप्पणी भी सामने आयी है कि कांग्रेस जल्दी चुनाव करवाये जाने से डर रही है। मोदी सरकार ने जब नोटबंदी लागू की थी उसके बाद विमुद्रीकरण पर आयी एक पुस्तक के लेखक गौत्तम चौधरी ने इसमें यह कहा है कि आने वाले समय में मोदी सत्ता के लिये लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ करवाने का दाव खेल सकते हैं। बीते नवम्बर माह में शिमला में जब मिशन मोदी 2019 नाम से गठित मंच की हिमाचल ईकाई का गठन किया गया था तब इस बैठक का संचालन कर रहे संघ मुख्यालय नागपुर से आये प्रतिनिधियों ने भी इस आश्य का संकेत दिया था।

एक अरसे तक देश में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। आज फिर से यह चुनाव एक साथ करवाने के लिये इस आश्य का संसद में एक संविधान संशोधन लाना पड़ता है। संसद में इसे पारित करवाने के बाद राज्यों की दो-तिहाई विधान सभाओं से भी इसे अनुमोदित करवाना पड़ता है। संसद में इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अभी मार्च में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिये चुनाव होने जा रहा है। संभावना है कि इस चुनाव के बाद राज्य सभा में भी भाजपा को बहुमत मिल जायेगा। फिर इस समय 19 राज्यों में तो भाजपा की ही सरकारे हैं। बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भाजपा सत्ता में भागीदार है। इस तरह कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि यदि मोदी वास्तव में ही ऐसा चाहेंगे तो उन्हें इस आश्य का संविधान संशोधन लाने में कोई दिक्कत पेश नही आयेगी। इस आश्य के संविधान संशोधन का सिद्धान्त रूप में विरोध कर पाना आसान नही होगा। क्योंकि जब देश में आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन लाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया था। उस समय प्रधानमन्त्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि को कानून में संरक्षित कर दिया गया था। तब उसका विरोध किसी ने भी नही किया था। यह तो सर्वोच्च न्यायालय था जिसने उस संशोधन को निरस्त कर दिया था। इस परिदृश्य में आज यदि इकट्ठे चुनाव करवाने का संशोधन लाया जाता है तो उससे भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों को एक समान ही हानि लाभ होगा।

इस समय लोकसभा का चुनाव मई - जून 2019 में होना तय है। इसके साथ आंध्र प्रदेश, अरूणाचल, सिक्कम, उड़ीसा और तेलंगाना के चुनाव भी मई-जून 2019 में है। छत्तीसगढ़ , हरियाण , मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव भी 2019 में ही है। 2018 में कर्नाटक और मिजोरम के चुनाव होंगे। इस तरह ग्याहर राज्यों के चुनाव 2018 और 2019 में होना तय है। शेष 20 राज्यों में 2020, 21, 22 और 2023 में चुनाव होने हैं और इनमें अधिकांश में भाजपा की सरकारे हैं इसलिये एक साथ चुनाव का राजनीतिक हानि/लाभ सबको बराबर होगा। लेकिन इससे देश को कालान्तर में समग्र रूप से लाभ होगा। इस समय देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारे हैं और इन सरकारों का विजिन अपने राज्य से बाहर का नही रह पाता है। फिर अधिकांश क्षेत्रीय दल तो एक प्रकार से पारिवारिक दल होकर रह गये हैं। इस कारण से चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के स्थान पर हल्के केन्द्रिय मुद्दे भारी पड़ जाते हैं इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लडे जायें। यदि मोदी सरकार किसी ऐसे संशोधन को लाने का प्रयास करती है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिये।

इस संसद से लेकर राज्यों की विधान सभाओं तक आपराधिक छवि के लोग चुनाव जीतकर माननीय बने बैठे हैं ऐसे लोगों के मामले दशकों तक अदालतों में लटके रहते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव से बाहर रखने के चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के सारे प्रयास प्रभावहीन होकर रह गये हैं क्योंकि यह आपराधिक छवि के माननीय सारे राजनीतिक दलों में एक बराबर मौजूद हैं। इसलिये जब एक साथ चुनाव करवाने का कोई संशोधन लाया जाये तो उसके साथ ही चुनावों को धन और बाहुबल से भी बाहर करने के संशोधन साथ ही आ जाने चाहिये।

भारत में अभी भी पकौड़े और चाय में बहुत स्कोप है साहब

डॉ नीलम महेंद्र

"साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय।
सार सार को गहि रहे थोथा दे उड़ाय।।"
कबीर दास जी भले ही यह कह गए हों,

लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ किसी भी बात पर ट्रेन्डिंग और ट्रोलिंग का चलन है। कहने का आशय तो आप समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, विषय है मोदी जी का वह बयान जिसमें वो ''पकौड़े बेचने'' को रोजगार की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि इस पर देश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आई लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान ने जिसमें वो इस क्रम में भीख माँगने को भी रोजगार कह रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते उनसे अपनी विरोधी पार्टी के प्रधानमंत्री के बयानों का विरोध अपेक्षित भी है और स्वीकार्य भी किन्तु देश के भूतपूर्व वित्त मांत्री होने के नाते उनका विरोध तर्कयुक्त एवं युक्तिसंगत हो, इसकी भी अपेक्षा है। यह तो असंभव है कि वे रोजगार और भीख माँगने के अन्तर को न समझते हों लेकिन फिर भी इस प्रकार के स्तरहीन तर्कों से विरोध केवल राजनीति के गिरते स्तर को ही दर्शाता है।

सिर्फ चिदंबरम ही नहीं देश के अनेक नौजवानों ने पकौड़ों के ठेले लगाकर प्रधानमंत्री के इस बयान का विरोध किया। हार्दिक पटेल ने तो सभी हदें पार करते हुए यहां तक कहा कि इस प्रकार की सलाह तो एक चाय वाला ही दे सकता है। वैसे ''आरक्षण की भीख'' के अधिकार के लिए लड़ने वाले एक 24 साल के नौजवान से भी शायद इससे बेहतर प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी।

दरअसल जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो यह भूल रहे हैं कि इस धरती के हर मानव का सिर उठाकर स्वाभिमान से अपनी जीविका कमाना केवल उसका अधिकार नहीं है, जिसके लिए वो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं बल्कि यह तो उसका स्वयं अपने और अपने परिवार के प्रति उसका दायित्व भी है।

''गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है लेकिन गरीब मरना आपका अपराध है'' बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष एवं पर्सनल कम्प्यूटर क्रांति के अग्रिम उद्यमी के यह शब्द अपने भीतर कहने के लिए कम लेकिन समझने के लिए काफी कुछ समेटे हैं।

यह बात सही है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है लेकिन पूरे विश्व में एक हमारे ही देश में बेरोजगारी की समस्या हो, ऐसा नहीं है।

लेकिन यहाँ हम केवल अपने देश की बात करते हैं। तो सबसे मूल प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानन्द के इस देश का नौजवान आज आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार पर निर्भर क्यों है? वो युवा जो अपनी भुजाओं की ताकत से अपना ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बदल सकता है, वो आज अपनी क्षमताओं, अपनी ताकत, अपनी योग्यता, अपने स्वाभिमान सभी कुछ ताक पर रखकर एक चपरासी तक की सरकारी नौकरी के लिए लाखों की संख्या में आवेदन क्यों करता है? जिस देश में जाति व्यवस्था आज भी केवल एक राजनैतिक हथियार नहीं बल्कि समाज में अमीर गरीब से परे ऊँच नीच का आधार है उस देश में ब्राह्मण राजपूत ठाकुर आदि जातियों तक के युवकों में सरकारी चपरासी तक बनने की होड़ क्यों लग जाती है?

ईमानदारी से सोच कर देखिए, यह समस्या बेरोजगारी की नहीं मक्कारी की है जनाब!

क्योंकि आज सबको हराम दाड़ लग चुकी है। सबको बिना काम के बिना मेहनत के सरकारी तनख्वाह चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री का यह बयान उन लोगों को ही बुरा लगा जो बेरोजगार बैठकर सरकार और अपने नसीब को तो कोस सकते हैं, जाति और धर्म का काई खेल सकते हैं लेकिन गीता पर विश्वास नहीं रखते, कर्म से अपना और अपने देश का नसीब बदलने में नहीं देश को कोसने में समय बरबाद कर सकते हैं।

शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि रिलायंस समूह जो कि आज देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, उसकी शुरुआत पकौड़े बेचने से हुई थी। जी हाँ अपने शुरुआती दिनों में धीरूभाई अँबानी सप्ताहांत में गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकौड़े बेचा करते थे! स्वयं गाँधी जी कहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता सोच होती है।

आज जरूरत देश के नौजवानों को अपनी सोच बदलने की है। आज समय इंतजार करने का नहीं उठ खड़े होने का है। एक दिन में कोई टाटा बिड़ला नहीं बनता और न ही बिना संघर्ष के कोई अदानी या अंबानी बनता है। बिल गेट्स धीरूभाई अंबानी जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने अपनी अपनी सरकारों की ओर ताकने के बजाय खुद अपने लिए ही नहीं बल्कि देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए।

तो आवश्यकता है देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की बात समझने की न कि तर्क हीन बातें करने की।

इस बात को समझने की, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को 'अलग तरीके' से करते हैं, शिव खेडा।

वैसे भी अगर इस देश का एक नौजवान पकौड़े बेचकर विश्व के पटल पर अपनी दस्तक दे सकता है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो विशेष बात यह है कि भारत में अभी भी पकौड़े और चाय में बहुत स्कोप है।

और मोदी जी के विरोधियों को एक सलाह, कि वे मोदी विरोध जरा संभल कर करें क्योंकि मोदी भारतीय चाय, खिचड़ी और योग को विश्व में स्वीकार्यता दिलाने का श्रेय पहले ही ले चुके हैं अब उनके विरोधी भारतीय पकौड़ों को भी वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय उन्हीं के नाम करने पर तुले हैं।

लोक सेवा आयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला

प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ऐसा संस्थान है जिसके जिम्मे प्रदेश की शीर्ष लोक सेवाओं एच.ए.एस और एच.पी.एस के लिये भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी चुनने का काम है। जिन लोगों ने ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करना है उनका अपना चयन कैसे होना चाहिये? उस चयन का आधार कैसा होना चाहिये? लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद संवैधानिक हैं। इन पर नियुक्त व्यक्तियों को उनके पदों से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है और उसके लिये भी पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करवाकर उसकी संस्तुति आना आवश्यक है। अन्यथा इन्हे नीयत समय से पहले हटाने का कोई प्रावधान नही है। लेकिन इनकी नियुक्ति का आधार क्या हो इस पर संविधान में बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया गया है। अब पंजाब लोकसेवा आयोग का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था और उस पर 15 फरवरी 2013 को फैसला आ गया था। इस फैंसले में विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार की व्याख्या की है इस संद्धर्भ में फैसले के महत्वपूर्ण अंश पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं।

In these appeals against the judgment and orders of the Punjab and Haryana High Court, a very important question of law arises for our decision: whether the High Court in exercise of its writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution can lay down the procedure for the selection and appointment of the Chairman of the State Public Service Commission and quash his appointment in appropriate cases.

Facts: The relevant facts very briefly are that by notification dated 07.07.2011, the State Government of Punjab appointed Mr. Harish Dhanda as the Chairman of the Punjab Public Service Commission. On 10.07.2011, the respondent No.1 who was an Advocate practicing at the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, filed a public interest litigation under Article 226 of the Constitution (Writ Petition No.11846 of 2011) praying for a mandamus directing the State Government to frame regulations governing the conditions of service and appointment of the Chairman and/or the Members of the Public Service Commission as envisaged in Article 318 of the Constitution of India. The respondent No.1 also prayed for a direction restraining the State Government from appointing Mr. Harish Dhanda as the Chairman of the Punjab Public Service Commission in view of the fact that his appointment does not fall within the parameters of integrity, impartiality and independence as reiterated time and again by this Court. The Division Bench of the High Court, after hearing the learned counsel for the writ petitioner and the learned Additional Advocate General for the State of Punjab, passed an order on 13.07.2011 holding that even though Article 316 of the Constitution does not prescribe any particular procedure for appointment of Chairman of the Public Service Commission, having regard to the purpose and nature of the appointment, it cannot be assumed that the power of appointment need not be regulated by any procedure. Relying on the judgments of this Court in the case of In R/O Dr. Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission [(2000) 4 SCC 309], Ram Kumar Kashyap and another vs. Union of India and another (AIR 2010 SC 1151) and In Mehar Singh Singh Saini, Chairman, HPSC and others [(2010) 13 SCC 586], the Division Bench held that it is not disputed that the persons to be appointed as Chairman and Members of the Public Service Commission must have competence and integrity. The Division Bench of the High Court further held that a question, therefore, arises as to how such persons are to be identified and selected for appointment as Chairman of the Public Service Commission and whether, in the present case, the procedure adopted was valid and if not, the effect thereof. The Division Bench further observed that these questions need to be considered by a Bench of three Judges and referred the matter to the Bench of three Judges of the High Court.

Pursuant to the order dated 13.07.2011 of the Division Bench, the Chief Justice of the High Court constituted a Full Bench. On 19.07.2011, the Full Bench of the High Court passed an order calling for certain information from the State Government of Punjab and the Punjab Public Service Commission on the number of posts filled up by the Public Service Commission in the last five years, the number of posts taken out from the purview of the Public Service Commission in the last five years and regulations, if any, framed by the State Government. On 01.08.2011, the Full Bench of the High Court also passed orders requiring the Union of India to furnish information on three questions:

(1) Whether there were any criteria or guidelines to empanel a candidate for consideration for appointment as a Member of the Union India Public Service Commission; (2) Which authority or officer prepares such panel; and (3) What methodology is kept in view by the authority while preparing the panel.

Aggrieved by the order dated 13.07.2011 of the Division Bench of the High Court and the orders dated 19.07.2011 and 01.08.2011 of the Full Bench of the High Court, the State of Punjab filed Special Leave Petitions (C) Nos.22010-22012 of 2011 before this Court. On 05.08.2011, this Court, while issuing notice in the Special Leave Petitions, made it clear that issuance of notice in the Special Leave Petitions will not come in the way of the High Court deciding the matter and the State of Punjab is at liberty to urge all contentions before the High Court. Accordingly, the Full Bench of the High Court heard the matters on 08.08.2011 and directed the Chief Secretary of the State of Punjab to remain present at 2.00 P.M. along with the relevant files which contain the advice of the Chief Minister to the Government. The Chief Secretary of the State of Punjab produced the original files containing the advice of the Chief Minister to the Governor of Punjab and after seeing the original files, the Full Bench of the High Court returned the same and reserved the matter for judgment.

Thereafter, the Full Bench of the High Court delivered the judgment and order dated 17.08.2011 directing that till such time a fair, rational, objective and transparent policy to meet the mandate of Article 14 is made, both the State of Haryana and the State of Punjab shall follow the procedure detailed hereunder as part of the decision-making process for appointment as Members and Chairman of the Public Service Commission:-

There shall be Search Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary of the respective State Governments.

The Search Committee shall consist of at least three members. One of the members shall be serving Principal Secretary i.e. not below the rank of Financial Commissioner and the third member can be serving or retired Bureaucrat not below the rank of Financial Commissioner, or member of the Armed Forces not below the rank of Brigadier or of equivalent rank.

The Search Committee shall consider all the names which came to its notice or are forwarded by any person or by any aspirant. The Search Committee shall prepare panel of suitable candidates equal to the three times the number of vacancies. While preparation of the panel, it shall be specifically elicited about the pendency of any court litigation, civil or criminal, conviction or otherwise in a criminal court or civil court decree or any other proceedings that may have a bearing on the integrity and character of the candidates.

Such panel prepared by the Search Committee shall be considered by a High Powered Committee consisting of Hon'ble Chief Minister, Speaker of Assembly and Leader of Opposition.

It is thereafter, the recommendation shall be placed with all relevant materials with relative merits of the candidates for the approval of the Hon'ble Governor after completing the procedure before such approval.

The proceedings of the Search Committee shall be conducted keeping in view the principles laid down in Centre for Public Interest Litigation's case (supra). By the order dated 17.08.2011, the Full Bench of the High Court also ordered that the writ petition be listed before the Division Bench to be constituted by the Chief Justice of the High Court.

Pursuant to the judgment dated 17.08.2011, the Division Bench constituted by the Chief Justice of the High Court quashed the appointment of Mr. Harish Dhanda as Chairman of the Punjab Public Service Commission and disposed of the writ petition of respondent No.1 in terms of the judgment of the Full Bench. Aggrieved, the State of Punjab, State of Haryana and Mr. H.R. Dhanda have filed these appeals against the judgment and orders dated 17.08.2011 of the Full Bench and the Division Bench of the High Court.

This Court has had the occasion to consider the qualities which a person should have for being appointed as Chairman and Member of Public Service Commission and has made observations after considering the nature of the functions entrusted to the Public Service Commissions under Article 320 of the Constitution. In Ashok Kumar Yadav & Ors. v. State of Haryana & Ors. (supra), a Constitution Bench of this Court speaking through P.N. Bhagwati, J, observed: "We would therefore like to strongly impress upon every State Government to take care to see that its Public Service Commission is manned by competent, honest and independent persons of outstanding ability and high reputation who command the confidence of the people and who would not allow themselves to be deflected by any extraneous considerations from discharging their duty of making selections strictly on merit." In R/O Dr. Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission (supra), Dr. A.S. Anand, C.J. speaking for a three Judge Bench, cautioned: "The credibility of the institution of a Public Service Commission is founded upon the faith of the common man in its proper functioning. The faith would be eroded and confidence destroyed if it appears that the Chairman or the members of the Commission act subjectively and not objectively or that their actions are suspect. Society expects honesty, integrity and complete objectivity from the Chairman and members of the Commission. The Commission must act fairly, without any pressure or influence from any quarter, unbiased and impartially, so that he society does not lose confidence in the Commission. The high constitutional trustees, like the Chairman and members of the Public Service Commission must forever remain vigilant and conscious of these necessary adjuncts."

I, therefore, hold that even though Article 316 does not specify the aforesaid qualities of the Chairman of a Public Service Commission, these qualities are amongst the implied relevant factors which have to be taken into consideration by the Government while determining the competency of the person to be selected and appointed as Chairman of the Public Service Commission under Article 316 of the Constitution. Accordingly, if these relevant factors are not taken into consideration by the State Government while selecting and appointing the Chairman of the Public Service Commission, the Court can hold the selection and appointment as not in

शेष पृष्ठ 6 पर .....

लोक सेवा आयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला

.....पृष्ठ 5 का शेष

accordance with the Constitution. To quote De Smith's Judicial Review, Sixth Edition: "If the exercise of a discretionary power has been influenced by considerations that cannot lawfully be taken into account, or by the disregard of relevant considerations required to be taken into account (expressly or impliedly), a court will normally hold that the power has not been validly exercised. (Page 280)

In the result, I am not inclined to interfere with the impugned order of the Division Bench of the High Court dated 17.08.2011 quashing the selection and appointment of Mr. Harish Dhanda as Chairman of the Punjab Public Service Commission, but I set aside the judgment dated 17.08.2011 of the Full Bench of the High Court. Considering, however, the fact that the State Government of Punjab has already selected and appointed Lt. Gen. R.A. Sujlana as the Chairman of the Punjab Public Service Commission, I am not inclined to disturb his appointment only on the ground that his appointment was consequential to the judgment dated 17.08.2011 of the Full Bench of the High Court which I have set aside. The appeal of the State of Punjab is partly allowed and the appeal of the State of Haryana is allowed, but the appeal of Mr. Harish Dhanda is dismissed. The parties to bear their own costs.

.....J.

(A. K. Patnaik)

Two features clearly stand out from a bare reading of Article 316 of the Constitution, and these are: (1) No qualification has been laid down for the appointment of the Chairperson of a State Public Service Commission. Theoretically therefore, the Chief Minister of a State can recommend to the Governor of a State to appoint any person walking on the street as the Chairperson of the State Public Service Commission. (2) The Chairperson of the State Public Service Commission is provided security of tenure since the term of office is fixed at six years or until the age of 62 years, whichever is earlier. The security of tenure is confirmed by the provision for removal of the Chairperson of the State Public Service Commission from office as provided for in Article 317 of the Constitution. This reads as follows: "317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission.—(1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on C.A. No. 7640 of 2011 inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under Article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

The President, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, and the Governor, in the case of a State Commission, may suspend from office the Chairman or any other member of the Commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under clause (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

Notwithstanding anything in clause (1), the President may by order remove from office the Chairman or any other member of a Public Service Commission if the Chairman or such other member, as the case may be,— (a) is adjudged an insolvent; or (b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or (c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

If the Chairman or any other member of a Public Service Commission is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (1), be deemed to be guilty of misbehaviour."

An aspect that clearly stands out from a reading of Article 317 is that the Chairperson of the State Public Service Commission can be removed from office on the ground of C.A. No. 7640 of 2011 misbehaviour only after an inquiry is held by this Court on a reference made by the President and that inquiry results in a report that he or she ought to be removed on such ground. The Governor of the State is not empowered to remove the Chairperson of the State Public Service Commission even though he or she is the appointing authority. There are, of course, other grounds mentioned in Article 317 of the Constitution but none of them are of any concern for the purposes of this case.

A reading of Article 316 and Article 317 of the Constitution makes it clear that to prevent the person walking on the street from being appointed as the Chairperson of a State Public Service Commission, the Constitution has provided that the appointment is required to be made by the Governor of the State, on advice. Additionally, the Chairperson has security of tenure to the extent that that person cannot be effortlessly removed from office even by the President as long as he or she is not guilty of proven misbehaviour, or is insolvent, or does not take up any employment or is not bodily or mentally infirm. There is, therefore, an in-built constitutional check on the arbitrary appointment of a Chairperson of a State Public Service C.A. No. 7640 of 2011 Commission. The flip side is that if an arbitrary appointment is made, removal of the appointee is a difficult process.

If the person walking on the street is appointed in a Godforbid kind of situation, as the Chairperson of a State Public Service Commission, what remedy does an aggrieved citizen have? This question arises in a unique backdrop, in as much as no eligibility criterion has been prescribed for such an appointment and the suitability of a person to hold a post is subjective.

Functional test

The employment embargo laid down in the Constitution and the functions of a Public Service Commission also indicate that its Chairperson has a constitutional status.

Article 319 of the Constitution provides that on ceasing to hold office, the Chairperson of a State Public Service Commission cannot take up any other employment either under the Government of India or under the Government of a State, except as the Chairperson or member of the Union Public Service Commission or as the Chairperson of any other State Public Service Commission.

Among other things, the functions of the State Public Service Commission include, as mentioned in Article 320 of the Constitution, conducting examinations for appointments to the services of the State. The State Public Service Commission may also be consulted by the President or the Governor of the State, subject to regulations that may be made in that behalf, on all matters relating inter alia to methods of recruitment to civil services and for civil posts and on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts.

The remedy

What then is the remedy to a person aggrieved by an appointment to a constitutional position like the Chairperson of a Public Service Commission? However, in a unique situation like the present, where a writ of quo warranto may not be issued, it becomes necessary to mould the relief so that an aggrieved person is not left without any remedy, in the public interest. This Court has, therefore, fashioned a writ of declaration to deal with such C.A. No. 7640 of 2011 cases. Way back, in T. C. Basappa v. T. Nagappa [1955] 1 SCR 250 it was said: "The language used in articles 32 and 226 of our Constitution is very wide and the powers of the Supreme Court as well as of all the High Courts in India extend to issuing of orders, writs or directions including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari as may be considered necessary for enforcement of the fundamental rights and in the case of the High Courts, for other purposes as well. In view of the express provisions of our Constitution we need not now look back to the early history or the procedural technicalities of these writs in English law, nor feel oppressed by any difference or change of opinion expressed in particular cases by English Judges".

In In R/O Dr Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission, (2000) 4 SCC 309 this Court considered the functional requirements of the Public Service Commission and what is expected of its members and held: "Keeping in line with the high expectations of their office and need to observe absolute integrity and impartiality in the exercise of their powers and duties, the Chairman and members of the Public Service Commission are required to be selected on the basis of their merit, ability and suitability and they in turn are expected to be models themselves in their functioning. The character and conduct of the Chairman and members of the Commission, like Caesar's wife, must therefore be above board. They occupy a unique place and position and utmost objectivity in the performance of their duties and integrity and detachment are essential requirements expected from the Chairman and members of the Public Service Commissions."

This Court asserted the necessity of transparency in the appointment to such constitutional positions. It was said: "This unfortunate episode teaches us an important lesson that before appointing the constitutional authorities, there should be a thorough and meticulous inquiry and scrutiny regarding their antecedents. Integrity and merit have to be properly considered and evaluated in the appointments to such high positions. It is an urgent need of the hour that in such appointments absolute transparency is required to be maintained and demonstrated. The impact of the deeds and misdeeds of the constitutional authorities (who are highly placed), affect a very large number of people for a C.A. No. 7640 of 2011 very long time, therefore, it is absolutely imperative that only people of high integrity, merit, rectitude and honesty are appointed to these constitutional positions."

The independence of the post of the Chairperson or the member of the Punjab Public Service Commission cannot be forgotten or overlooked. That independence is attached to the post is apparent from a reading of the Punjab State Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1958 framed by the Governor of Punjab in exercise of power conferred by Article 318 of the Constitution.

Conclusion:

The appointment of the Chairperson of the Punjab Public Service Commission is an appointment to a constitutional position and is not a "service matter". A PIL challenging such an appointment is, therefore, maintainable both for the issuance of a writ of quo warranto and for a writ of declaration, as the case may be.

In a case for the issuance of a writ of declaration, C.A. No. 7640 of 2011 exercise of the power of judicial review is presently limited to examining the deliberative process for the appointment not meeting the constitutional, functional and institutional requirements of the institution whose integrity and commitment needs to be maintained or the appointment for these reasons not being in public interest.

The circumstances of this case leave no room for doubt that the notification dated 7th July 2011 appointing Mr. Harish Rai Dhanda was deservedly quashed by the High Court since there was no deliberative process worth the name in making the appointment and also since the constitutional, functional and institutional requirements of the Punjab Public Service Commission were not met.

In the view that I have taken, there is a need for a word of caution to the High Courts. There is a likelihood of comparable challenges being made by trigger-happy litigants to appointments made to constitutional positions where no eligibility criterion or procedure has been laid down. The High Courts will do well to be extremely circumspect in even entertaining such petitions. It is necessary to keep in mind that sufficient elbow room must be given to the Executive to make C.A. No. 7640 of 2011 constitutional appointments as long as the constitutional, functional and institutional requirements are met and the appointments are in conformity with the indicators given by this Court from time to time.

Given the experience in the making of such appointments, there is no doubt that until the State Legislature enacts an appropriate law, the State of Punjab must step in and take urgent steps to frame a memorandum of procedure and administrative guidelines for the selection and appointment of the Chairperson and members of the Punjab Public Service Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.

The Civil Appeals are disposed of as directed by Brother Patnaik.

..... J.

(Madan B. Lokur)

लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, दवे ने कहा–खामियों का पिटारा है महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गरमागरम माहौल के बीच सीबीआई जज लोया मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने मामले की दोपहर बाद सुनवाई शुरू की। मामले में बाबे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं। शुक्रवार को ज्यादा समय याचिकाकर्ता के वकील दवे ने लिया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को रखा साथ ही अपनी पूरी दलील को लोया की मौत से जुड़ी खामियों पर केंद्रित किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को फिर होगी।

बाबे लायर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के खुफिया विभाग के कमिश्नर की ओर से तैयार की गयी रिपोर्ट पर एक नोट तैयार किया है जिस पर तत्काल विचार की जरूरत है। रिपोर्ट अंतरविराधों का पिटारा है। मेरी ये गुजारिश है कि रिपोर्ट को शपथ पत्र के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जिससे हम भारतीय अपराध संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही की शुरुआत कर सकें।

आगे उन्होंने कहा कि ''मामले की सुनवाई का पूरा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि मुद्दा अधूरा रह जाएगा। सरकार को विरोध करने की जगह एक स्वतंत्र जांच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। एकबारगी अगर हम मान भी लें कि ये एक स्वाभाविक मौत थी। फिर भी किसी जांच से क्या नुकसान होगा?

रिपोर्ट में खामियों को विस्तार से बताते हुए दवे ने कहा कि ''जब लोया को कथित दिल का दौरा पड़ा तो जिन चार न्यायाधीशों के ब्यान दर्ज किए गए हैं उनमें से कोई भी उनके पास मौजूद नहीं था। वहां डा प्रशांत राठी नाम का केवल एक शख्स था जिसका दावा है कि लोया ने उसे बुलाया था। उन्हें नागपुर के डडे अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें मेडट्रिना अस्पताल में शिट किया गया। 1 दिसंबर 2014 को दर्ज पुलिस रिपोर्ट या फिर कोई अन्य दस्तावेज किसी न्यायाधीश की मौजूदगी का जिक्र नहीं करता है।

लाइव लॉ के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि गलत! लोया नागपुर के रविभवन के एक कमरे में दो अन्य जजों के साथ ठहरे थे। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार रूपेश राठी को बुलाया था और उसके बाद उन्हें डडे अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी। आगे उन्होंने कहा कि ह उनकी मौत के दो सालों बाद तक कुछ नहीं किया गया। उसके बाद एकाएक कारवां में एक लेख आता है। उसके बाद बाबे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीजीपी को जांच करने का निर्देश देते हैं। वो चार न्यायाधीशों से बात करते हैं जिन्होंने बताया कि वो लोया के साथ सरकारी गेस्टहाउस में रुके थे और डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया गया था।

दवे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ''लोया को लता मंगेश्कर या फिर किसी दूसरे अच्छे अस्पताल की जगह एक तीसरे दर्जे के अस्पताल में ले जाया गया। ये हो क्या रहा है?

इस पर जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि हमें अपने केस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे हम ये समझ सकें कि कौन दस्तावेज पहले ही रिकार्ड में दर्ज हो चुका है और किसे अभी आना बाकी है।''

उसके बाद दवे ने पहले से तैयार अपने नोट को, जिसका उन्होंने ऊपर जिक्र किया था पेश करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 2010 में रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की बजाय सीबीआई के द्वारा जांच का आदेश दिया था। जिसमें कहा था कि 'केवल न्याय नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए'। उसके बाद 27 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ट्रायल को गुजरात से महाराष्ट्र स्थांतरित कर दिया कि वो इस बात से सहमत है कि ट्रायल की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए केस का राज्य के बाहर स्थांतरित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी आदेश दिया था कि मामले की सुनवाई शुरू से लेकर अंत तक केवल एक जज द्वारा की जाएगी।

लोया के जरिये जज जेटी उत्पट के तबादले के हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए दवे ने कहा कि 6 जून 2014 को कोर्ट में उपस्थिति से बचने की इच्छा पर उत्पट ने अमित शाह को फटकार लगायी थी। उसके बाद उन्हें हट जाने का निर्देश दिया गया था। और उन्हें पुणे जाने के लिए कहा गया था। ये बिल्कुल संदेहास्पद था। 31 अक्तूबर, 2014 को लोया, जिन्होंने शाह को पेशी से छूट दी थी, ने पूछा कि उस तारीख को मुंबई में होने के बावजूद शाह कोर्ट से क्यों गैरहाजिर रहे। और अंत में लोया की 1 दिसंबर, 2014 को मौत हो गयी।

उन्होंने कहा कि एक ऐसे मामले में जिसमें तीन लोगों की हत्या हुई हो भारतीय दंड संहिता की धारा 227 के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

इस पर रोहतगी ने पूछा कि हम लोया की मौत की बात कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट के द्वारा एक जज के तबादले की दवे ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि हमने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को पक्ष बना लिया है।

आगे दवे ने कहा कि 23 नवंबर, 2017 को गृह सचिव ने जांच के आदेश दिए। उसी दिन खुफिया विभाग के कमिश्नर ने हाईकोर्ट को संबोधित अपने पत्र में चार न्यायाधीशों का जिक्र किया था। उनके बारे में कैसे उस समय पता चल सकता था पांच दिनों के भीतर ही 28 नवंबर 2017 को रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी जाती है।

दवे ने कहा कि चारों जजों के पत्र तोते जैसे लगते हैं। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार साथ के गेस्ट हाउस में थे। उन्होंने लोया की पत्नी और परिवार को क्यों नहीं फोन किया वो उन्हें सबसे अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं लेकर गए राठी का बयान सुबह 8.33 बजे दर्ज किया गया जबकि मौत सुबह 6.15 पर हुई। लेकिन ब्यान में किसी भी दूसरे की मौजूदगी का जिक्र नहीं है।

1 दिसंबर को दिए गए ब्यान के अंतरविरोधों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्यान सीतापुल्दी थाने में दर्ज किया गया था। वहां पुलिस द्वारा रिकार्ड में झूठी बातें दर्ज की गयी हैं। अगर दूसरे जज मौजूद थे तो राठी द्वारा ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया का जिक्र ब्रिजमोहन कहकर नहीं किया जाना चाहिए था जिन्होंने लोया के अपने चाचा का रिश्तेदार होने का दावा किया था। साथ ही लोया ने कथित तौर पर चार बजे सुबह सीने में दर्द की शिकायत की थी। फिर उन्हें सुबह 6.15 मिनट तक क्यों नहीं किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया? इसके अलावा डाडे अस्पताल के बारे में दावे भी गलत हैं। इस संबध में वहां कोई जिक्र नहीं है। ब्यान में केवल मिडिट्रिना अस्पताल का जिक्र है।

ब्यान पर भरोसा करते हुए दवे ने कहा कि मेडिट्रिना अस्पताल में जब डाक्टर ने लोया की मौत की सूचना दी तब राठी ने औपचारिकताओं को पूरा कर उनके शव को परिवार के दूर होने के चलते उनके पैतृक निवास लातूर भेजने पर जोर दिया। दवे ने कहा कि ये कैसे संभव है? शरीर को लातूर क्यों ले जाया गया? जस्टिस स्वपना जोशी की पुत्री की शादी के फोटोग्राफ सरकार को पेश करने चाहिए। ये पूरी तरह से झूठ है।

इस पर रोहतगी ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि शव को किसी अपरिचित को नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद उसे दो न्यायाधीशों के साथ एक एंबुलेंस में उनके पुश्तैनी निवास पर भेजा गया था।

इस पर दवे ने टिप्पणी की कि ''और आश्चर्यजनक तौर पर लोया के दाह संस्कार में न्यायिक बिरादरी से केवल जस्टिस चवाण मौजूद थे।

फिर रोहतगी ने पूछा कि तो क्या तीन जजों के ब्यान और हाईकोर्ट के ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पांच दूसरे जज झूठ बोल रहे हैं?

दवे ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ब्यानों को खारिज किया जाना चाहिए। और कोई भी जज पुलिस को ब्यान नहीं दिया है। वो केवल प्रेस में ब्यान दिए हैं।

बेंच की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इस तरह की एक घटना में चीफ जस्टिस एक मातहत न्यायपालिका के सदस्य के परिवार को सहयोग देने के लिए अपनी सीमाओं से भी पार जाता है। इन जजों को शपथपत्र पेश करने दीजिए। मैं उनसे जिरह करना चाहता हूं। राज्य सरकार शपथपत्र भरने से क्यों भाग रही है?

अस्पताल बिल के बारे में बोलते हुए दवे ने कहा कि जज लोया को कथित तौर पर मृत लाया गया था। फिर ये न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर मेडिकेशन, डाइट कंसल्टेंट आदि के तहत आए इन खर्चों की क्या व्याख्या है? ये सभी कुछ एक मृत आदमी के इलाज पर खर्च हुए। लोया को कभी वहां नहीं ले जाया गया।

इस पर रोहतगी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि डाक्टर एक मरीज को दरवाजे पर ही खारिज नहीं कर देता है। मरीज को भर्ती किया जाता है और फिर उसको जिंदा करने के प्रयास होते हैं। ऐसा बताया गया है कि शक प्रक्रिया और सीपीआर का इस्तेमाल किया गया। एक लय हासिल हुई लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका।

दवे ने कहा कि लोया को भर्ती कराने वाले शख्स का नाम श्रीकांत कुलकर्णी बताया गया है। कुलकर्णी लोया के सहकर्मी थे। और उन्होंने लोया के साथ अपने रिश्ते को एक मित्र के तौर पर दर्ज किया है। जब आप एक दस्तावेज तैयार कर रहे होते हैं तब आप अपनी यादों के सहारे लिखते हैं। इसके अलावा भर्ती का समय सुबह 6.27 बजे दिखाया गया है जबकि लोया के कथित मृत शरीर को सुबह 6.15 बजे लाया गया था? उसी के साथ वहां नकली दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

रोहतगी के इस बात का जिक्र करने पर कि साथ के जज श्रीराम मोदक ने लोया की पत्नी को 5 बजे सुबह उनकी बीमारी के बारे में बताया था, दवे ने कहा कि पत्नी के ब्यान पर ब्यान खींचने के लिए आपका धन्यवाद। इसे दबाव में हासिल किया गया है। मोदक ने अपने ब्यान में कहा है कि उन्हें नहीं पता कि लोया की पत्नी को किसने फोन किया था।

इसके बाद बेंच से उन्होंने कहा कि पया लोया की पत्नी, बहन, पिता और बेटे से चौंबर में बात करिए। अगर वो कहते हैं कि वो कोई जांच नहीं चाहते हैं तब ये याचिका वहीं खत्म हो जाएगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोलते हुए दवे ने कहा कि 'एक शख्स जो दिल का दौरा पड़ने की कथित तौर पर शिकायत कर रहा है वो बिल्कुल सुबह एक भूरी शर्ट, जींस और काली बेल्ट पहने हुए है।''

पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी साख पर संदेह जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोया की शरीर की स्थिति की व्याख्या कर देती है। दवे ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम निधन के चार घंटे बाद सुबह 10.50 बजे हुआ। शरीर उस समय तक पूरी कड़ी हो जानी चाहिए थी।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओवरराइटिंग है। दिसंबर के नीचे नवंबर 30 या फिर 31 लिखा गया है। बेंच उनकी इस बात से सहमत होती है।

शरीर की फोरेंसिक जांच के बारे में दवे ने कहा कि क्या इसी तरह से एक मौजूदा जज की मौत की जांच की जाती है? जिसमें शरीर को जनवरी को दिया गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट 5 फरवरी को आयी? आगे उन्होंने कहा कि शव को सीतापुल्दी थाने की पुलिस द्वारा भेजा गया था जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सदर थाने का जिक्र है।

इस पर रोहतगी ने कहा कि पोस्टमार्टम को सदर में स्थित एक सरकारी अस्पताल में किया गया। जबकि मेडिट्रिना अस्पताल सीतापुल्दी में है। तब दवे ने कहा कि इस तरह की स्थितियों में दूसरा पुलिस स्टेशन कभी रुचि नहीं लेता है। बल्कि जहां हत्या होती है वही सक्रियता से भाग लेता है।

दवे ने कहा कि रवि भवन के रजिस्टर में लोया का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि न्यायपालिका से जुड़े हर शख्स का जिक्र है जो भी वहां रुका था। जयसिंह ने कहा कि वो एक कमरे में दो दूसरे जजों के साथ सोएंगे? निश्चित तौर पर जस्टिस स्वपना जोशी पर्याप्त व्यवस्था की रही होंगी? उन्होंने कहा कि वहां दो बिस्तर और तीन लोग थे। ये अजीब लगता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा था तो गेस्टहाउस में सभी लोगों को अलग-अलग दर्ज किया गया है।

दवे ने विजयकुमार बर्डे के व्यवहार पर भी सवाल उठाया। जैसा कि उन्होंने कहा है कि घटना के कुछ दिनों बाद उनकी लोया की पत्नी से मुलाकात हुई थी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड ने दवे से कहा कि न्यायपालिका के किसी सदस्य के व्यक्तिगत विचार और व्यवहार को मुद्दा न बनाएं। क्योंकि हर शख्स की प्रतिक्रिया का अलग-अलग तरीका होता है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड ने इस बात को साफ किया कि इसका ये मतलब नहीं वो उसे स्वाभाविक मौत करार दे रहे हैं।

दवे ने कहा कि क्यों हाजी अली में मौजूद लोया के मित्रों से संपर्क करने की कोशिश की गयी? उन्होंने उनकी पत्नी से क्यों नहीं संपर्क किया? क्या किसी पत्नी का स्वभाव हो सकता है कि वो अस्पताल की तरफ नहीं भागती जबकि नागपुर के लिए सुबह तीन-तीन लाइट मौजूद हैं। आरटीआई के हवाले से लोया की सिक्योरिटी वापस लिए जाने वाली जानकारी को भी दवे ने बेंच के सामने रखा। जिसे 24 नवंबर 2014 को वापस ले लिया गया था।

उन्होंने दिल्ली न्यायिक सेवाएं बनाम गुजरात राज्य के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मातहत न्यायालय पर हमले को किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरी संस्था पर हमला बताया गया है।

दवे ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि अमित शाह की रिहाई के मामले में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं– जहां चार्जशीट दायर की गई उसकी पृष्ठभूमि, पुलिस अफसरों का छूटना और पहले जज का तबादला और मामले में दूसरे जज की मौत। मामले को पहली नजर में खारिज नहीं किया जा सकता है।

वरिष्ठ वकील वी गिरी ने कहा कि श्रीकांत कुलकर्णी जिन्होंने कथित तौर पर लोया को अस्पताल में भर्ती कराया था उन्हें पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एसएचओ के रिकार्ड के मुताबिक जांच के लिए राठी को थाने बुलाया गया था। इस पर दवे ने कहा कि लोया के काल रिकार्ड को कोर्ट को हासिल कर लेना चाहिए।

गिरी ने दोनों अस्पतालों की ईसीजी रिपोर्ट को भी बेंच के सामने रखने की मांग की। जयसिंह ने भी रवि भवन का रजिस्टर, ईसीजी रिपोर्ट अगर कोई हुई थी तो और रजिस्ट्रार राठी का पूरा बयान जिसमें तीन वाक्य गायब हैं उन्हें भरकर बेंच के सामने लाने की मांग की। जिसको रोहतगी ने पेश करने का आश्वासन दिया।

जनचौक ब्यूरो से साभार.....

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र मामले में ईडी नही कर पायी कोई और गिरफ्तारी–दायर हुआ अनुपूरक चालान

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी में चल रहे मनीलॉडरिंग मामलें में अन्ततः अनुपूरक चालान दायर हो गया हैं यह अन्ततः इसलिये है क्योंकि इस मामलें में ईडी ने दो बार अटैचमेन्ट आदेश जारी किये थे। जब पहला अटैचमेन्ट आदेश जारी हुआ था। उसमें कहा गया था कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को लेकर अभी जांच जारी है और इसके पूरा होने के बाद इसमें अनुपूरक चालान दायर किया जायेगा। पहले अटैचमेन्ट आदेश के बाद वीरभद्र के एल.आई.सी. ऐजैन्ट आनन्द चौहान को ई.डी. ने 9 जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर लिया था जिसे अब जनवरी 2018 में उस समय ज़मानत मिली जब ई.डी. ट्रायल कोर्ट से करीब छः बार अनुपूरक चालान दायर करने का समय लेने के बाद भी चालान दायर नही कर पायी। ई.डी. द्वारा बार–बार समय मांगने और फिर चालान दायर न कर पाने के कारण ट्रायल कोर्ट आनन्द चौहान के चालान पर आगे कारवाई नहीं बढ़ा पा रहा था। जबकि मामलें के मुख्य अभियुक्त तो वीरभद्र सिंह थे और आनन्द चौहान तो केवल सहअभियुक्त थे। इस मामलें में यदि अभी भी अनुपूरक चालान दायर न हो पाता तो शायद आनन्द चौहान का मामला ट्रायल से पहले ही समाप्त करना पड़ जाता।

जब ई.डी. ने इस मामलें में दूसरा

अटैचमेन्ट आदेश जारी करके महरौली स्थित फार्म हाऊस को अटैच किया था उस समय यह माना जा रहा था कि इस आदेश के बाद किसी की गिरफ्तारी हो जायेगी क्योंकि यह फार्म हाऊस विक्रमादित्य सिंह की कंपनी के नाम है और ई.डी. के मुताबिक इसकी खरीद के लिये कुछ पैसा वीरभद्र सिंह से और कुछ पैसा वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के माध्यम से मिला है। इस अटैचमेन्ट आदेश के साथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक पूरे पैसे की ट्रेल में वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर–वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह है। इस तरह पूरे प्रकरण में वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर एक मुख्य पात्र हैं लेकिन ई.डी. के चालान में वह अभियुक्त नामज़द नही है। वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के अभियुक्त नामज़द न होने से ई.डी. में दर्ज हुए मामलें के आधार पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो जाते है। इसमें वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, चुन्नी लाल, आनन्द चौहान, लवण कुमार और प्रेम राज को ही अभियुक्त बनाया गया है।

ई.डी. के पहले अटैचमेन्ट आदेश में करीब 8 करोड़ और दूसरे में 5.6 करोड़ की संपत्तियों की अटैचमेन्ट दिखाई गयी है। इस तरह करीब 14 करोड़ की संपत्ति अटैचमेन्ट हुई है। स्मरणीय है कि सबसे पहले सी.बी.आई. ने वीरभद्र के खिलाफ आये से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और इसका आधार बनी थी मार्च 2012 में दायर की गयी संशोधित आयकर रिर्टन में बढ़ी हुई आय को सेब बागीचे की आय बताया गया था। इस बागीचे का प्रबन्धन एल. आई.सी. ऐजैन्टे आनन्द चौहान के पास था और उसने इस आय को वीरभद्र परिवार के लिये एल.आई.सी. की पॉलिसीयां लेने में निवेशित कर दिया था। लेकिन आयकर विभाग ने इस बढ़ी हुई आय को बागीचे की आय मानने से इन्कार कर दिया। इसी तर्ज पर सी.बी.आई. ने भी इस आय को बागीचे की आय नही माना और इसे आय से अधिक संपत्ति करार दे दिया। सी.बी.आई. के इस निष्कर्ष पर ई.डी. ने भी माला दर्ज कर लिया और उसने दो अटैचमेन्ट आदेशों में करीब 14 करोड़ की संपत्ति अटैच की ली। ई.डी. के अनुसार इस संपत्ति खरीद पर हुआ निवेश वीरभद्र के अपने कालेधन का है जिसे सफेद बनाने के लिये इस तरह के निवेश का सहारा लिया गया है और इस नाते मनीलॉडरिंग के दयरे में आता है।

मोदी और भाजपा ने वीरभद्र के इस मामले को 2014 के लोकसभा चुनावों में खूब भुनाया। यहां तक कहा गया कि वीरभद्र के तो पेड़ो पर तो सेब की जगह नोट उगते हैं। इन विधानसभा चुनावों में भी यह बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले चार वर्षो में यह लगातार संकेत दिये जाते रहे कि इस मामलें में वीरभद्र या उनके परिजानों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती हैं लेकिन मोदी–जटेली की सी.बी.आई. और ई.डी. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर पायी। दोनों ऐजैन्सीयां ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर चुकी हैं और अब वीरभद्र के पास इन मामलों को अन्तिरम अदालत तक लड़ने के लिये पर्याप्त समय और स्थान उपलब्ध है। वीरभद्र इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध से बनाये गये मामलें कहते आये हैं। इसके लिये अरूण जेटली, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर नाम लेकर आरोप लगाते रहे है। अब जब ई.डी. के चालान से अभियुक्तों की सूची से इस वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर का नाम गायब है जिसे इसे पूरे प्रकरण का केन्द्रिय पात्र प्रचारित किया जा रहा था तो इससे यह लगने लगा है कि शायद वीरभद्र के इस आरोपो में दम था कि यह सबकुछ राजनीतिक प्रतिशोध का ही परिणाम था। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

निगमों/बोर्डों की ताजपोशीयों में उलझे सरकार और संगठन

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने सत्ता संभालते ही जिस तेजी के साथ प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिये सदस्यों के दो पदों का सृजन करके एक को तुरन्त प्रभाव से भर भी दिया और दो निगमों में

ताजपोशीयां भी कर दी तथा सैंकड़ो के हिसाब से प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल भी कर दिया उससे लगने लगा था कि यह सरकार इसी रफ्तार से आगे भी अपने काम को अंजाम देती जायेगीं विभिन्न निगमों/बोर्डो में हर सरकार अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को राजनीतिक ताजपोशीयां देती है और इसमें किसी को कोई एत्तराज भी नहीं होता है बल्कि जितनी शीघ्रता से यह राजनीतिक ताजपोशीयां हो जाती है उसी अनुपात से कार्यकर्ता भी कामकाज मे जुट जाते है। लेकिन अब यह नियुक्तियां रूक गयी हैं बल्कि मुख्यमन्त्री को यह ब्यान देना पड़ा है कि यह नियुक्तयां करने की कोई शीघ्रता नहीं है। जब मुख्यमन्त्री ने यह कहा ठीक उसी दौरान यह सामने आ गया कि पालमपुर में इन्दु गोस्वामी मुख्यमन्त्री के लिये रखे गये भोज के आयोजन में शामिल नही हुई । इस शामिल न होने को लेकर आयोजकों और इन्दु गोस्वामी की ओर से आये स्पष्टीकरणों से यह स्पष्ट हो गया कि पालमपुर भाजपा में सब ठीक नही चल रहा है। इन्दु गोस्वामी के प्रकरण के बाद हमीरपुर के भोरंज में एक आयोजन में सांसद अनुराग ठाकुर ''गो बैक'' के नारे लग गये । यह नारे इस बात के लिये लगे कि इस क्षेत्र की एक पेयजल योजना लगबाल्टी का आधा पानी धर्मपुर क्षेत्र को दिया जा रहा है। धर्मपुर सिंचाई एवम् जनस्वास्थ्य मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर का क्षेत्र है और यह योजना भी आज की नहीं पुरानी है। अनुराग भी तीसरी बार संसाद बने हैं तो फिर यह विरोध प्रर्दशन आज ही क्यों हुआ?

इस समय पार्टी के विधायकों को लेकर यह चर्चा है कि यह लोगे मन्त्री न बनाये जाने को लेकर नाराज़ चल रहे हैं। इनमें नरेन्द्र बरागटा और रमेश धवाला के नाम प्रमुखता से बाहर भी आ चुकें है। यही नहीं जो प्रमुख लोग चुनाव हार गये हैं उनको लेकर भी यह सवाल उठ रहें है कि उनको कैसे और कहां ऐडजैस्ट किया जायेगा। क्योंकि इस समय पार्टी के अन्दर धूमल, नड्डा, शान्ता और जयराम बराबर के ध्रुव बन कर चल रहे है। विधायकों का बहुमत धूमल के साथ था यह सर्वविदित हैं इसी बहुमत के कारण केवल धूमल के ही दो लोगों को ताजपोशीयां मिल पायी है। बल्कि अब जयराम नड्डा और शान्ता को भी बराबर साधने में लग गये है। अभी दिल्ली में नड्डा के आवास पर केन्द्र की प्रतिनियुक्ति पर तैनात हिमाचल के अधिकारियों को मिलना इसी कड़ी में गिना जा रहा है। यही नही चम्बा दौरे के लिये नड्डा को चण्ड़ीगढ़ से लेना फिर शान्ता को पालमपुर से लेना और वापिस वहीं छोड़ना तथा बीच में अमृतसर तक जाना सबकुछ इसी साधने के आईने में देखा जा रहा है। इस राजनीतिक तालमेल का बिठाये रखने के गणित मे यह निगमों/बोर्डो की नियुक्तियां अभी और कितनी देरतक लटकी रहती है। इसपर अब सवाल तक उठने लग पड़े है। क्योंकि आने वाले समय में जहां अगले वर्ष लोकसभा चुनावों का सामना करना है वहीं पर यह संभावना भी बढ़ती जा रही है कि मोदी ''एक देश एक चुनाव'' की योजना पर अमल करने में सफल हो जाते है तब तो लोकसभा के साथ ही प्रदेश विधानसभा के चुनाव का भी फिर से सामना करने की नौवत आ जायेगी।

इस परिदृश्य में आज जब प्रदेश सरकार की बागडोर जयराम ठाकुर के हाथ में है तो कल को चुनावों में परिणाम देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो जाती हैं लेकिन यह परिणाम देने के लिये कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि विधायकों/मन्त्रीयों के बाद उन्हें भी सरकार की ओर से निगमो/बोर्डो में नियुक्तियों के माध्यम से सम्मान मिल जाना चाहिये। पार्टी के शीर्षे पर बैठे बड़े नेताओं के आपसी बदलते समीकरणों के कारण यदि कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां लम्बे समय तक लबित रहती है। तो इसका नुकसान सरकार और संगठन को उठाना पड़ेगा स्थिति उस मोड़ तक जा पहुंची है। इसलिये अब संगठन और सरकार इनकी गुथी को सुलझाती है इस पर सबकी निगाहें लगी है।